कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी
जिला – बड़वानी (म.प्र.)

Email Address :- dfot.bdw@mp.gov.in Phone 07290-222038 Pin code 451-551

क्रमांक/तकनीकी/2026/ 804 बडवानी,दिनांक 11/02/2026

प्रति,

संचालक,
जन सम्पर्क, संचालनालय
न्यू मार्केट रोशनपुरा नाका
बाणगंगा रोड़ भोपाल (म.प्र.)

विषय :– दैनिक समाचार पत्रों में तृतीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना वर्ष 2025–26 के विज्ञापन हेतु।

——00——

उक्त विषयांतर्गत वानिकी कार्यो में उपयोग होने वाली **सिंचाई सामग्री क्रय** हेतु ई–निविदा प्रकाशन हेतु 10 प्रतियों ई–मेल के माध्यम से संलग्न हैं।

अतः कृपया ई–पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 18.02.2026 के पूर्व करवाने का कष्ट करें। प्रकाशन उपरांत संबंधित प्रकाशित समाचार पत्र की एक–एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– निविदा विज्ञप्ति (ई–मेल के माध्यम से)

(आशीष बनसोड)
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, बडवानी

पृष्ठा.क्रमांक/तकनीकी/2026/ 805 बडवानी,दिनांक 11/02/2026

प्रतिलिपि :–

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
03. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–विकास) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
04. वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. वनसंरक्षक/वनमण्डलाधिकारी खण्डवा/बुरहानपुर/खरगोन/बडवाह/सेंधवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी/पाटी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
07. वन परिक्षेत्र अधिकारी बडवानी/पाटी/बोकराटा/राजुपर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु अग्रेषित। कृपया स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
08. व्यय शाखा प्रभारी वनमण्डल कार्यालय बडवानी की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
09. सूचना पटल पर चस्पा, वनमण्डल कार्यालय बड़वानी

संलग्नः– निविदा विज्ञप्ति (ई–मेल के माध्यम से)

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, बडवानी

खण्ड – I

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश सरकार

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 803....../ई–टेण्डर/2025–26 दिनांक 11/02/26

वनमण्ड़लाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित–2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	ईकाई	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	पानी की टंकी 2000 लीटर	4 लेयर, यू.वी. प्रोटेक्टर, आई.एस.आई. मार्क	नग	नियमानुसार	1000.00
2	एच.डी.पी.ई. पाईप	ब्लेक कोटिंग 100%, शुद्ध रेसिम दाना 200 मीटर क्राईल, साईज 2 इन्च (58 एम.एम.) आई.एस.आई. मार्क	मीटर	--"--	
3	पी.वी.सी. पाईप	4 कि.ग्रा. वाटर प्रेशर क्षमता, साईज 2 इन्च (63 एम.एम.) आई.एस.आई. मार्क	मीटर	--"--	
4	पी.वी.सी. वाल्व	लॉग हेण्डल में जंगरोधी मटेरियल से बना, साईज 2 इन्च आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	
5	डीजल इंजन	5 एच.पी. कामेट इंजन, 85 एम.एम. लाईनर, पिस्टन वाटर पम्प सहित आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	
6	लूज गार्डन पाईप	30 मीटर बण्डल, 0.75 इन्च साईज, आई.एस.आई. मार्क	बण्डल	--"--	
7	पाईप टी	पी.वी.सी., 4 कि.ग्रा. प्रेशन, साईज 63 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	
8	पाईप एल्बो	पी.वी.सी., 4 कि.ग्रा. प्रेशन, साईज 63 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	
9	पाईप एण्डकैप	पी.वी.सी., 4 कि.ग्रा. प्रेशन, साईज 63 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	
10	सोल्वेंट	गाई स्ट्रेंथ सोल्वेंट, आई.एस.आई. मार्क	लीटर	--"--	
11	ड्रीप लाईन	वर्जिन कोटिंग, 300 मीटर बण्डल, साईज 16 एम.एम., आई.एस.आई. मार्क	बण्डल	--"--	
12	सबमर्शिबल पम्प	कॉपर रोटर, स्टेनलेस स्टील बॉडी, साईज 12.5 एच.पी./ 20 स्टेज, आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	
13	ड्रीपर	वर्जिन मटेरियल, 8 लीटर प्रति घण्टा डिस्चार्ज, आई.एस.आई. मार्क	नग	--"--	

14	लेटरल कॉक	वर्जिन मटेरियल, पूर्ण घुमावदार हेण्डल, आई.एस.आई. मार्क	नग		
15	मोटर स्टार्टर	3 फेस कनेक्शन, केबल कनेक्शन के साथ, आई.एस.आई. मार्क	नग		
16	ड्रीप फिल्टर	जंगरोधी मटेरियल, एम.एस. मटेरियल से निर्मित, आई.एस.आई. मार्क	नग		--"--
17	सबमर्शिबल केबल	शुद्ध कॉपर व कार्बन रहित मटेरियल, 6 एम.एम., आई.एस.आई. मार्क	मीटर		
18	एल्यूमिनियम वायर	14 एम.एम. एल्यूमिनियम वायर, शुद्ध पी.वी.सी. कवर, 160 गेज, आई.एस.आई.मार्क	मीटर		

निविदा में भाग लेने तथा निविदा खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

विवरण	दिनांक	समय
Tender Publishing Date and Time	Date 18.02.2026 Time 11.00 AM	निविदा ऑनलाईन http:mptenders.gov.in के माध्यम से भरे एवं देखे जा सकते है।
Tender Sale Start Date and Time	Date 19.02.2026 Time 11.30 AM	
Pre Bid Meeting Date	Date 23.02.206 Time 12.30 AM	
Bid Submission Start Date and Time	Date .19.02.2026 Time 11.30 PM	
Bid Submission Close Date and Time	Date 25.02.2026 Time 05.00 PM	
Bid Openning Date and Time	Date 27.02.2026 Time 12.00 PM	

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निशुल्क देखे और डाउनलोड़ किए जा सकते है।
- इच्छुक निविदाकार केडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योमेंट पोर्टल पर दिनांक 19.02.2026 समय प्रातः 11.30 बजे से दिनांक 25.02.2026 समय साय: 05.00 बजे तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
- ई–प्रोक्योमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रकिया तिथियां लागू होगी।
- ई–निविदा पूर्व बैठक दिनांक 23.02.2026 समय 12.30 को वनमण्डल कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से भाग ले सकते है। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगें जिन्होने ई–टेण्डर फॉर्म खरीदे है।
- **ई–निविदा आमंत्रण सूचना** में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो तो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जावेगा, समाचार पत्रों में नही।
- **ई–खरीद पोर्टलः https://www.mptenders.gov.in/**

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) बड़वानी

खण्ड – II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आई.टी.बी.)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	सक्षिप्त विवरण	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल बडवानी के कार्य क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपणों की सिचाई के लिए सामग्री कय करने हेतु दरों की निविदा
2	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	–
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000.00
4	सत्यांकार निधि	300000.00
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी द्वारा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	सफल निविदाकार से नियमानुसार लागत का 03 प्रतिशत
7	अनुमानित निविदा मूल्य	100.00 लाख लगभग
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	(पोर्टल पर शेडयूल देखे)
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखे)
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखे)
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखे)
12	ई–निविदा फॉर्म जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा **https://www.mptenders.gov.in/**

01 निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढाई जा सकती है।

02 निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी के बीच आपसी सहमति के अधीन बढाई जा सकती है।

03 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा.) बडवानी (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रकिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नही करता है कि इस प्रकिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आर.एफ.पी.) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नही है। इस प्रकिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाकि निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रकिया को समाप्त कर सकता है।

04 प्रति निविदाकार एक निविदा :–

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्न–6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदाऐं प्रस्तुत करने का हकदार नही होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जावेगी।

format

05 निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नही किया जाएगा।

06 निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपुर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करे। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

(ब) निविदा दस्तावेज

07 निविदाकार को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड़ करने होगे :–

i) जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
ii) पैन कार्ड
iii) पिछले 03 वित्तीय वर्षो के आयकर रिटर्न (2022–23, 2023–24, 2024–25)
iv) 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पुरा अनुलग्न–1
v) पुरा अनुलग्न –2
vi) पुरा अनुलग्न –3
vii) सी.ए. प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र (तीन वर्ष का)
viii) दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण
ix) एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र, यदि ई.एम.डी. में छूट मांगी गई है।
x) स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छुट मांगी गई है।
xi) ई–निविदा में दर्शित सामग्री का सरल कमांक 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 17 एवं 18 की सामग्री विक्रय हेतु निविदाकार को अधिकृत विक्रेता का प्रमाण–पत्र ई–निविदा दस्तावेज में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
xii) निविदाकार को इस बाबत वचन पत्र ई–निविदा पर अपलोड किया जाना है कि " निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा में उल्लेखित सामग्री ग्यारंटी/वारंटी अवधि में खराब/टूट–फुट होती है तो उस सामग्री की मांग किए जाने पर 07 दिवंस में चाही गई सामग्री बदलकर/मरम्मत कर दी जावेगी।"

08 निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तो की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

09 निविदा पूर्व बैठक

9.1 ई–निविदा आमंत्रण सुचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जावेगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाईड पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नही किया जाएगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है, अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश मुद्दों का स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाईड पर प्रस्तुत किया जावेगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10 सत्यांकार निधि (ई.एम.डी.)

10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित–2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मुल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जावेगा। ऑफलाईन जमा करना मान्य नही होगा।

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्केन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

10.5 **सत्यांकार निधि जप्त की जा सकती है:–**

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य वृद्धि करता है

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबुझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मुल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जप्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नही उठाया जाएगा।

11 संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन–कवर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाए और विस्तृत नियम एवं शर्ते वेबसाईड पर ऑनलाईन प्रकाशित की जाएगी।

12 निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते है।

13 पूर्व योग्यता मापदण्ड अनुलग्न–4 में दिए गए है। निविदाकारों को अपने पूर्व–योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में काई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व–योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14 तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जावेगी।

15 वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नही होना चाहिए।

16 निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाईन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बी.ओ.क्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

17 निविदा मूल्य में लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होगे, जो कि वनमण्डल की भोगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होगे और यह भारतीय रूपये में होगा।

18 सभी संभावित निविदाकारो को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सा) बडवानी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करे और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करे। इस संबंध में एक घोषणा पत्र (अनुलग्न–3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पुरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19 निविदाकार द्वारा अनुलग्न–1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व–घोषणा– काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण–पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मुल्यांकन

20 निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21 निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मुल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके

यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी है और निविदा प्रारूप REP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नही। निविदाकर्ता निविदा में किसी भी अनोपचारिकता या गैर–अनुरूपता को माफ कर सकता है, जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नही करता।

22 निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाए खोलेगा।

23 यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नही किया जाएगा। इस प्रकार यदि समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

24 यदि दो या अधिक निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते है, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

25 कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

26 अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा। यदि इकाई मूल्य और कुल मुल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27 निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का काई दायित्व उत्पन्न नही होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का दायित्व नही होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार

28 सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जावेगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग–अलग फर्मो से है, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मो को जारी किए जाएगें, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें है।

29 नियोक्ता सफल निविदाकारों को "स्वीकृति पत्र" (एलओए) (अनुलग्न–5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकृत कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II "महत्वपूर्ण तिथियॉ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के कमांक 06 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंको को छोडकर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में "वनमण्डलाधिकारी (सा.) बडवानी जिला बड़वानी" के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गांरटी की वैधता अनुबंध की संपुर्ण अवधि से 03 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 क पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। हालॉकी यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जावेगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालॉकि विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के अनुरूप की जावेगी।

31 इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दण्ड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की आय को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता

वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्ते शामिल है, लेकिन इन्ही तक सीमित नही है:

I निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नही है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पुरा नही करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

II निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुडाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है।

III यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर–उत्तरदायी है।

IV निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नही करता।

(32) अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझोते पर हस्ताक्षर करना होगा। (अनुबंध समझोते का प्रारूप अनुलग्न–7)

32.2 अनुबंध समझोते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपुर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आमतोर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नही किया जावेगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझोते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जप्त कर ली जावेगी।

33 निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आशिंक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

34 अनुबंध भारत में प्रचलित और लागु कानुनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढाचें के भीतर। सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। (जिला बड़वानी)

अन्य नियम और शर्ते

35 इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रीकल उत्पादों मं, निविदाकार ओईएम या ओईएम अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिये और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिये।

36 निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत काई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई नमूना या दृच्छिक रूप से चुन सकता है। और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या शासकीय प्रयोगशाला से किया जायेगा और परीक्षण शुल्क अपूर्तिकता द्वारा वहन किया जावेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है तो कोई भुगतान नही किया जायेगा, निष्पादन सुरक्षा जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

37 निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तो और शुद्धि पत्र में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नही करते है।

38 यदि निविदाकार की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत /अपलोड किये गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झुठे या धोखाधड़ी वाले है तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार

किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझोता रद्द किया जा सकता है ज़िसके बाद निविदाकार की संत्यकार की राशि और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त की जा सकती हैं।

39 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नही की जाती है तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की संत्यकार राशि और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी। यदि कार्य पुरा करने के लिये निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्त्रोतो से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि संत्यकार की राशि और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो संत्यकार की राशि और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी।

40 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक याा कम दोनो तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।

41 इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नही किया गया है उनके संबंध में निर्णलय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) बडवानी

अनुलग्न—1

स्वघोषणा— काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र
रूपये 100/— के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक........................

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) बडवानी

महोदय

दिनांक..के निविदा संदर्भ संख्या... के प्रत्युत्तर में, ...के स्वामी/भागीदारी/निदेशक के रूप में, में/हम घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म... का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधडी पूर्ण कार्यो के लिए अयोग्य घोषित नही किया गया है।

हम आगे घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधडी व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नही डाला गया है और न ही अयोग्य घोषित किया गया है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद

Format

निविदाकार का नाम :

अधिकृत हस्ताक्षकर्ता :

संगठन की मूहर :

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्न—2

निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम :..
   ....
2. पिता का नाम : ....
3. स्थाईपता मकान कमांक ....
   गली कमांक ....
   स्थान ....
   जिला ....पिन कोड..
   मोबाईल ....
4. कार्यालय का पता
   गली कमांक ....
   स्थान ....
   जिला ....पिन कोड..
5. सत्यांकार राशि (ईएमडी) का विवरण प्रकार :— एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/अन्य..
   संख्या दिनांक ....
   राशि ....
   बैंक का नाम ....
   जी.एस.टी. नम्बर ....

निविदाकार के हस्ताक्षर/सील

घोषणा

मै...पिता/पति.. घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए में पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तो, नियमों और आवश्यकताओं को पढ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर/सील

अनुलग्न–3

(सामग्री प्रदाय क्षेत्र का भ्रमण प्रमाण पत्र)

मैं/हम..जानता हूँ/जानते है कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमण्डल (सा.) बडवानी का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम.. वनमण्डल (सा.) बडवानी के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत है। मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते है।

Format

निविदाकार के हस्ताक्षर/सील

अनुलग्न–4

पूर्व– योग्यता मापदण्ड

निविदाकार के पास होना चाहिए :–

" पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मुल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षो के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदण्ड के लिए ध्यान में रखा जाएगा"।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) बड़वानी

अनुलग्न – 5

स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्रमांक /   दिनांक.........................

प्रति,

मेसर्स..

....

....

....

विषय :– सामग्री क्रय एवं प्रदाय आदेश।

प्रिय श्री

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	सामग्री का नाम एवं विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करे :–

क. रूपये..(आंकडों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये...केवल शब्दों में) निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी,...के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझोते पर हस्ताक्षर करें।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) बडवानी

अनुलग्न–6

संयुक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तो और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए :–

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मो के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी :–

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।

ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में समझोते पर हस्ताक्षर किए जाएगें ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

ग. प्रभारी भागीदारी को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा।

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारी अनुबंध की शर्तो के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होगे, और इस आशय का एक कथन (सी) के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में)

ड़) संयुक्त उद्यम समझोते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नही किया जाना चाहिए।

च) संयुक्त उद्यम समझोते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और

छ) भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझोते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मापदण्डों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आकडें एक साथ जोडे जाएगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मापदण्डों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझोते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए गए अनुसार प्रस्तुत करे :–

क.	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

Format

अनुलग्न–7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक .... को वनमंडलाधिकारी, बडवानी जिला बड़वानी, म.प्र. और मेसेर्स .... जिसे आगे "निविदाकार" कहां जायेगा, के बीच दुसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमंडल बडवानी जिला–बड़वानी म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहां जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्र के बिल उसमें दी गई दर के बराबर वस्तु की आपूर्ति के लिये बोली स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :–

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तो में कमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा की आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत् अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात

   i स्वीकृति पत्र

   ii निविदाकारों को निर्देश

   iii अनुलंग्न 01 से 03

   iv बिल की मात्रा (BOQ)

   v निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर .... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी :–

01 ....

02 ....

03 ....

04 ....

05 ....

उक्त .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त.............
.................की उपस्थिति में :–

01.

02.

Format

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) बडवानी